

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक.....

सं० संख्या-08/आ०-05-07/2025...../निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के आदेश
ज्ञापांक 532 दिनांक 21.04.2026 के द्वारा संसूचित दण्डादेश के विरुद्ध श्री दिगम्बर ठाकुर,
तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, गोविन्दपुर, नवादा-सम्प्रति-सेवानिवृत्त के द्वारा अपील
अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

श्री ठाकुर के अपील अभ्यावेदन में रखे गये पक्ष पर उनके मामले की सुनवाई दिनांक
23.09.2026 को अपराह्न 12:30 बजे सचिव, शिक्षा विभाग के कार्यालय कक्ष में निर्धारित की गई
है।

ह०/-

(उर्मिला कुमारी)

उप निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक-08/आ०-05-07/2025.....-1039..

पटना, दिनांक 11.09.2026

प्रतिलिपि:-सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के प्रधान आप्त
सचिव/जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा/श्री दिगम्बर ठाकुर, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी,
गोविन्दपुर, नवादा-सम्प्रति-सेवानिवृत्त, स्थायी पता-ग्राम+पोस्ट+थाना-बाबुबरही, मधुबनी-
847224, मो०नं०-9430509073 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

✓2. जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा को निदेश दिया जाता है कि उक्त पत्र श्रीमती
सुजाता कुमारी को तामिला कराते हुए तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

✓3. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसे
विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।


उप निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।